बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक .....

संख्या–08 / RTE 15–14 / 2026..... / निजी विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार के शुल्कों के निर्धारण, पोशाक एवं पाठ्य–पुस्तक के क्रय आदि के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही है। निजी विद्यालय का संचालन एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि समाज सेवा का कार्य "No profit no loss" सिद्धांत पर किया जाना है। माननीय न्यायालयों द्वारा भी निजी संस्थानों को व्यवसायिक गतिविधि का केंद्र नहीं माना गया है।

2. बिहार राज्य अन्तर्गत निजी विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है:–

i. बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009।
ii. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (तदालोक में समय–समय पर निर्गत अधिसूचना एवं आदेश)।
iii. बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019।
iv. CBSE/ICSE से मान्यता प्राप्त करने हेतु विभाग के स्तर से निर्गत NOC से संबंधित प्रावधान।
v. BSEB/CBSE/ICSE से सम्बद्धता (Affiliation) हेतु सम्बन्धित बोर्ड के नियम एवं दिशा–निर्देश।

3. उक्त प्रावधानों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त संदर्भ में पारित न्यायादेशों को ध्यान में रखते हुए निजी संस्थानों / विद्यालयों के संचालन को पारदर्शी एवं युक्तियुक्त बनाने एवं छात्र–छात्राओं के अध्यापन पर अभिभावकों द्वारा व्यय किए जाने वाली राशि को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न आदेश दिए जाते हैं :–

i. निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना–पट्ट एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
ii. विद्यालय सामान्यतः उक्त शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे ताकि अभिभावकों पर अध्यापन व्यय मद में अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़े। यह इसलिए भी आवश्यक है कि छात्र–छात्राओं को बिना व्यवधान के उनकी स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराया जा सके। यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो सुसंगत प्रावधानों में निहित सीमा एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर ही करेंगे।
iii. निजी विद्यालयों द्वारा पुनर्नामांकन शुल्क एवं अन्य प्रतिबंधित शुल्क नहीं लिया जाएगा।
iv. विद्यालयों को पुस्तकों एवं पठन–पाठन सामग्री के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों की सूची सूचना–पट्ट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।

v. अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान या विक्रेता से पुस्तकें एवं पठन–पाठन सामग्री तथा अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। संबंधित विद्यालय, विनिर्दिष्ट दुकान से एवं विनिर्दिष्ट ब्रांड का सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

vi. विद्यालयों को पोशाक संबंधित विनिर्देश सूचना–पट्ट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।

vii. अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान या विक्रेता से पोशाक खरीद सकते हैं। संबंधित विद्यालय, विनिर्दिष्ट दुकान से एवं विनिर्दिष्ट ब्रांड का खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

viii. विद्यालय पाठ्य पुस्तक एवं यूनिफॉर्म का पैटर्न बार–बार नहीं बदलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक–अभिभावक संघ से इसकी अनुमति प्राप्त कर ही करेंगे।

ix. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभिभावकों या विद्यार्थियों पर निर्धारित पाठ्यक्रम से अतिरिक्त अध्ययन सामग्री खरीदने हेतु कोई अनावश्यक दबाव न डाला जाए।

x. किसी भी छात्र–छात्रा को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा, परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न की गई हो।

xi. बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानानुसार नियम से अधिक शुल्क वृद्धि या अन्य शिकायतों के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

4. उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित निजी संस्थान अथवा निजी विद्यालय की प्रस्वीकृति अथवा संबंद्धता रद्द करने के साथ–साथ उक्त प्रावधान में निहित आर्थिक दंड भी अधिरोपित किए जाएंगे।

ह०/–
(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
पटना, दिनांक 12.05.26

ज्ञापांक:- 08 / RTE 15–14 / 2026 661 /

प्रतिलिपि:– सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajender 12.5.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।